construction of a three storeyed laboratory building.

(c) Yes. Rules have been made by the Central Government and the State Governments under sections 23 and 24 of the Prevention of Food Adulteration Act, 1954, and necessary action is taken for the implementation of the provisions of the Act and the Rules made thereunder.

Public Health Laboratories have been established in the various States with Central assistance during the Second Five Year Plan. One of the functions of these laboratories is the examination of food samples drawn under the Prevention of Food Adulteration Act, 1954.

Steps have also been taken to produce publicity material viz. a film on prevention of food adulteration and a pamphlet for the health education of the masses.

It has been the constant endeavour of the Government to prevent the adulteration of food stuffs. In this connection, a Sub-Committee set up by the Planning Commission has made some recommendations for amending the Prevention of Food Adulteration Act, 1954. These recommendations of the Sub-Committee are under examination.

दिल्ली में दूध में मिलावट

२५०६. **श्री विभूति मिश्र** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में जो बाहर से दूध बेचने वाले ग्राते हैं वे जब मिलावट के ग्रपराध में पकड़े जाते हैं तो ग्रपना गलत नाम ग्रौर पता बता देते हैं ; ग्रौर

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार जो बाहर से दुध बेचने ग्राते हैं उनको किसी किस्म का परिचय पत्र लेने पर ही बेचने का ग्रधिकार देने की व्यवस्था करेगी ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) : (क) बिना लाइसेंस के दुध बेचने वालों से जब दुध के नमूने लिये जाते हैं वे कभी-कभी ग्रपना गलत नाम व पता बतला देते हैं ।

(ख) खाद्य उपमिश्रण निवारण नियम १९५५ के नियम ५०(१३) के ग्रनुसार घूमने वाले मेण्डर की बांह पर, जिसे इन नियमों के ग्रधिन लाइसेंन्स दिया गया हो । एक धातू का बैज बन्धा हुग्रा होना चाहिए जिस पर उसका लाइसेन्स नम्बर, उन वस्तुग्रों के नाम जिन्हें बेचने का उसे लाइसेन्स दिया गया है, उसका नाम तथा पता एवं उसके मालिक(यदि कोई हो तो) का नाम तथा पता जिसके लिये वह काम कर रहा हो ग्रंकित होना चाहिये । यदि राज्य सरकार ग्रथवा स्थानिक ग्रार्थटी द्वारा ग्रपेक्षित हो तो धातु के बैज के ग्रतिरिक्त मेण्डर के पास उसकी फोटो तथा लाइसेन्स नम्बर सहित एक परिचय-पत्र होना चाहियें । उपर्युक्त नियमों के ग्रधिन इस परिचय पत्र को प्रति वर्ष बदलना चाहिये ।

Class II Officers in Railways

2510. **Shri Ram Sewak:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the number of class II officers in the Indian Railways and the number of Scheduled Castes among them; and

(b) what steps Government are taking to fill the quota of twelve and a half per cent?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri S. V. Ramaswamy): (a)

Total number	Scheduled Castes
1687	27

(b) The quota is 12½% of vacancies which arose after 4.1.57. This works out to 164 whereas only 27 could be